लखनऊ विश्वविद्यालय,लखनऊ

दिनांक 16 मार्च, 2016 की सम्पन्न हुई कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थित

1. डॉ0 एस0बी0 निमसे	अध्यक्ष/कुलपति
2. प्रो0 यू0एन0 द्विवेदी प्रतिकुलपति	सदस्य
3. श्री धर्मेन्द कुमार	सदस्य
4. डॉ0 राकेश कुमार सिंह	सदस्य
5. प्रो0 बी0के0 तिवारी	सदस्य
6. डॉ0 शशि कनौजिया	सदस्य
7. डॉ0 ओ0पी0 शुक्ला	सदस्य
8. डॉ0 एम0एस0 नक़वी	सदस्य
9. श्री देवी प्रसाद चौधरी	सदस्य
10. प्रो0 आभा अवस्थी	सदस्य
11. डॉ0 श्यामबाबू गुप्ता	सदस्य
12. डॉ0 हरिभाऊ गोपीनाथ खाण्डेकर	सदस्य
13. श्री एस0के0 शुक्ल	परीक्षा नियंत्रक एवं प्रभारी कुलसचिव/सचिव

Scanned by CamScanner

सर्वप्रथम अध्यक्ष कार्य परिषद महोदय द्वारा समस्त कार्यपरिषद सदस्यों का स्वागत किया गया तथा लखनऊ विश्वविद्यालय के कैलाश छात्रावास के प्रकरण के विषय में विस्तार पूर्वक घटना क्रम से सूचित किया गया। कार्य परिषद ने चीफ प्रोवोस्ट, अधिष्ठाता, छात्र कल्याण तथा कुलानुशासक द्वारा भी घटना क्रम के विषय में कार्य परिषद को अवगत कराया गया। कुलानुशासक ने सूचित किया कि अनुशासन हीनता में संलिप्त 16 छात्र एवं छात्राओं तथा घटना में शामिल अन्य बाहरी लोगो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज(एफ0आई0आर0) कराने की कार्यवाही कर दी गई है। परिषद ने अनुशासनहीनता में संलिप्त सभी विद्यार्थियों के विरूद्व वैधानिक कार्यवाही के निर्देश दिए तथा प्रोवोस्ट के सम्बन्धियों को तत्काल कैलाश हॉस्टल से फ्लश आउट करने के भी निर्देश दिये जिसमें आवश्यकता पड़ने पर पुलिस प्रशासन की मद्द लिए जाने का भी निर्णय लिया गया।

परिषद ने कैलाश छात्रावास के प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त निम्न निर्णय लियेः–

01. प्रो0 शीला मिश्रा, प्रोवोस्ट कैलाश छात्रावास के इस आशय का पत्र निर्गत किया जाये कि वे आज ही (दिनांक 16.03.2016) को सायं 05:00 बजे तक कैलाश छात्रावास स्थित प्रोवोस्ट निवास रिक्त कर दें अन्यथा की स्थिति में उन्हें उक्त छात्रावास के प्रोवोस्ट पद से हटा दिया जाये तथा निर्धारित समय सीमा के उपरान्त छात्रावास में उनकी उपस्थिति को ट्रेस पासर माना जाये तथा तद्नुसार उनसे आवास रिक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार यथोचित प्रभावी कार्यवाही की जाये।

02. जिन 28 छात्राओं के सम्बन्ध में विदित हुआ है कि उनके कारण प्रकरण का न्यायोचित समाधान बाधित हो रहा है उनके अभिभावको को सूचित कर माननीय कुलपति जी के साथ उनकी बैठक आहूत की जाये।

03. कैलाश छात्रावास के मुख्य द्वार पर वीडियों कैमरे लगाये जाये ताकि कैलाश छात्रावास में आवागमन की मॉनिटीरिंग एवं रिकॉडिंग हो सके। इसका कन्ट्रोल छात्रावास के स्थानीय प्राधिकारियों से भिन्न प्राधिकारी में निहित किया जाये।

04. विश्वविद्यालय परिसर में परीक्षाओं के प्रचलित होने के दृष्टिगत जिला प्रशासन लखनऊ के सहयोग से धारा–144 लगवाने तथा उसका कडाई से अनुपालन कराये जाने की कार्यवाही की जाये। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन के माध्यम से परिसर के आस–पास के क्षेत्रों, छात्रावासों व आवासीय परिसर में पेट्रोलिंग (अविरल गश्त) की व्यवस्था की जाये ताकि असमाजिक तत्वों के जमावडें व उनके Movement को नियंत्रित किया जा सके।

Scanned by CamScanner

05. सम्पूर्ण घटना की जॉच के लिए कार्य परिषद ने निम्नानुसार एक 03 सदस्यीय कमेटी का गठन करते हुए उससे दिनांक 19.03.2016 तक अपनी जॉच रिपोर्ट देने का संकल्प पारित किया:—

1. प्रो0 आभा अवस्थी (सदस्या कार्य परिषद) — अध्यक्ष
2. प्रो0 निरूपमा अग्रवाल जन्तु विज्ञान विभाग — सदस्य
3. प्रो0 कुमकुम किशोर (लोक प्रशासन विभाग) — सदस्य

06. कार्य परिषद ने यह विनिश्चय भी पारित किया कि भविष्य में कैलाश महिला छात्रावास में किसी भी प्रोवोस्ट के साथ उनका कोई पुरूष,—पारिवारिक सदस्य निवास नही करेगा और न ही प्रोवोस्ट का कोई पुरूष, पारिवारिक सदस्य महिला छात्रावास में आ जा सकेगा।

अध्यक्ष महोदय ने बैठक के अन्त में समस्त मा0 सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की।

(एस0के0 शुक्ल)
परीक्षा नियंत्रक एवं प्रभारी कुलसचिव/सचिव

(डॉ0 एस0बी0 निमसे)
कुलपति/अध्यक्ष

Scanned by CamScanner